

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./ 2014

जयपुर, दिनांक : 03 मार्च, 2015

स्पष्टीकारक पत्र

विषय :- राजकीय व्यय में मितव्ययता।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19 फरवरी, 2015 के बिन्दु 2 "समानुपातिक व्यय" के द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में बजट प्रावधानों के एक तिहाई (33%) से अधिक का व्यय नहीं करने तथा मार्च माह में बजट प्रावधानों के 15% की सीमा से अधिक व्यय नहीं किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजकीय व्यय में मितव्ययता हेतु जारी उक्त दिशा-निर्देश आयोजना भिन्न (Non Plan) व्ययों पर ही लागू होंगे। विभागों द्वारा किए जाने वाले आयोजना व्यय पर यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा।

तिहाई-

(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/ राजस्थान, जयपुर।
- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- राजकीय उपक्रम व्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
- समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
- समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
- प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग।